

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 840

/22-2, मुरादाबाद, दिनांक, सितम्बर- 27

2016

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- बिजनौर में नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा सं०-147 में मै० उस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-321/11 सी, दिनांक-12.08.2016.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपेक्षित सूचना प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक-911/14-1, दिनांक-26.09.2016 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं०-11-268/2014/एफ.सी०, दिनांक-11.07.2014 के बिन्दु-1 से 7 का अनुपालन किया गया है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को उनके कार्यालय पत्रांक-911/14-1, दिनांक-26.09.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।  
पत्रांक 911 / 157 बिजनौर दिनांक सितम्बर . 26 . 2016।  
सेवा में,

✓ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :-

बिजनौर में नहटौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग किमी 26.400 की दायी पअरी पर ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ के खसरा संख्या-147 में गैसर्स एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।

संदर्भ :-

उ०प्र० शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 के पत्रांक पी-122/14-2-2016-800(81)/2016 दिनांक 10-08-2016 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्रांक 321/11सी दिनांक 12-08-2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-11-268/2014/एफ०सी०, दिनांक 11-7-2014 के बिन्दु संख्या (i) से (vii) तक का अनुपालन किया ~~शामिल~~ है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,



(एम० सेम्भारन)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
बिजनौर

DM  
2-21-16  
25/9